भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 17

जिसका उत्तर सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक) को दिया गया

लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए ऋण मानदंड

17. श्री बसवराज बोम्मई:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंडों में ढील दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) नए मानदंडों से देश में विशेषकर कृषि, शिक्षा, आवास, नवीकरणीय ऊर्जा, एमएसएमई और कमजोर वर्गों जैसे विभिन्न क्षेत्रों को कितना प्रोत्साहन मिलेगा?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 24 मार्च, 2025 को जारी प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) पर मास्टर निदेशों के अनुसार, जिन बैंकों में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण में निर्धारित लक्ष्य/उप-लक्ष्य की तुलना में कमी है, उन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर तय किए गए अनुसार ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) और नाबार्ड/एनएचबी/सिडबी/मुद्रा लिमिटेड की अन्य निधियों में अंशदान के लिए राशि आवंटित की जाएगी।

विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न निधियों के लिए आबंटित सभी बैंकों की पीएसएल की कुल कमी का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)
वित्तीय वर्ष 2022-23	2,10,000
वित्तीय वर्ष 2023-24	1,50,000
वित्तीय वर्ष 2024-25	1,63,000

हाल के वर्षों में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) की कमी में बहुत गिरावट आई है, क्योंकि बैंक कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, शिक्षा, आवास आदि जैसे प्राथमिकता क्षेत्रों में अधिक ऋण प्रदान करने में सक्षम हुए हैं, जिन्हें देश के सामाजिक-आर्थिक विकास और समावेशी वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

(ग) से (ङ): लघु वित्त बैंक (एसएफबी) के लिए पहले समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के अंतर्गत पात्र क्षेत्रों को देना अपेक्षित था।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 20 जून 2025 के लघु वित्त बैंकों के संबंध में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण मानदंडों पर संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, लघु वित्त बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्य एएनबीसी के 75% से घटाकर 60% कर दिया गया है। मानदंडों के अनुसार, इसके एएनबीसी का 40% विद्यमान पीएसएल निर्धारणों के अनुसार विभिन्न उप-क्षेत्रों को आवंटित किया जाना चाहिए। अतिरिक्त 20% पीएसएल के अंतर्गत किसी एक या अधिक उप-क्षेत्रों को आवंटित किया जा सकता है जिसमें कृषि, छोटे और सीमांत किसान, सूक्ष्म उद्यम, शिक्षा, आवास, नवीकरणीय ऊर्जा और कमजोर वर्गों को अग्रिम शामिल हैं, जहां इसका प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो सकता है।

*****